सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 222/17 **निर्णय दिनांक 15.01.2018**

1. परमजीत सिंह पिसरान स्व. जोगेन्द्र सिंह जाति रामगढ़िया
2. जगदीशसिंह तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पैरोकारराज

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ मु.बीकानेर दिनांक 20—9—2000

उपस्थितः

1. श्री गिरधारी रामावत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 20—9—2000 जिसके द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने चक 27 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 158/26 की भूमि को

विशेष आवंटन में आवंटन कराने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर अपीलांट को दिनांक 30—12—1998 को रकबा आवंटन कर दिया गया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण रकबा खारिज कर दिया। अपीलांट की आवंटन पत्रावली में दिनांक 23—2—1999 राशि 30735/— जमा करवाने हेतु चालान जारी किया कर सात दिवस में जमा कराने हेतु पाबन्द किया गया था। जबकि अपीलांट को आज दिनांक तक कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। आलत मातहत द्वाा अपीलांट के पिता को कभी सूचना अथवा नोटिस नहीं दिया गया है। यदि अपीलांट के पिता को कोई नोटिस दिया जाता तो तत्समय ही वादगज् भूमि के आवंटन बाबत् 35 प्रतिशत राशि जमा करवा दी जाती। अपीलांट आज भी आवंटन बाबत् शेष किश्तें जमा करवाने के लिए तैयार है। अपीलाधीन आदेश साईक्लोस्टाईल है जो आदेश आई ऑफ लॉ उचित नहीं है। वादगत् भूमि आज दिनांक को भी आराजीराज दर्ज है व अन्य को आवंटनशुदा भूमि नहीं है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारि करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के वपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर रकबा बहाल किया जावे। अपील जानकारी से अन्दर मियांद पेश की गई है तथा धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को 35 प्रतिशत राशि सहित उपस्थित होने का अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस जारी किया है किन्तु बावजूद नोटिस सूचना के अपीलांट ने 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराई। अपीलंट अब 13 वर्ष बाद 35 प्रतिशत राशि जमा करावा कर रकबा चाहता है। जबकि 17 वर्ष के मियांद को कन्डोन करने के लिए अपीलांट ने अपने मियांद प्रार्थना पत्र में कोई संतोषजनक कारण नहीं बताये है। इसलिए अपीलांट की अपील मियांद बाहर होने व आवंटन शर्तो के अनुसार 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

—3—

6. (1) अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.9.2000 के विरुद्व अपील दिनांक 19.6.17 को पेश की है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट ने काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया है। अतः अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने चक 27 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 158/26 की भूमि को विशेष आवंटन में आवंटन कराने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर अपीलांट के पिता को आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 30—12—1998 को वादगत् भूमि का आवंटन विशेष आवंटन के तहत किया गया था।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के पिता जोगेन्द्र सिंह पुत्र गुरमुखसिंह को उक्त आवंटन की 35 प्रतिशत राशि का चालान दिनांक 23—02—1999 को जारी करते हुए उक्त राशि सात दिवस मं जमा करवाने हेतु पाबन्द किया गया था। उसके बावजूद भी अपीलांट के पिता ना तो आवंटन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ ना ही 35 प्रतिशत राशि जमा कराई। जिसके फालस्वरूप अपीलांट के पिता को दिनांक 30—12—1998 को किया गया आवंटन अदालत मातहत द्वारा दिनांक 20—09—2000 को खारिज कर दिया गया है। अब अपीलांट 17 वर्ष बाद 35 प्रतिशत राशि जमा कराकर आवंटन चाहता है। चूंकि अपीलांट ने आवंटन शर्तो व प्रक्रिया के तहत समयावधि में रकम जमा नहीं कराई है इसलिए अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ मु बीकानेर का आदेश दिनांक 20—09—2000 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे

इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 119/16 **निर्णय दिनांक**

1. महेन्द्र कुमार पुत्र गोपीराम जाति कुम्हार निवासी बरसलपुर 7 बीएमआर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पैरोकारराज

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ मु.बीकानेर
दिनांक 04–11–1999

उपस्थितः
1. श्री नारायणदास खत्री, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ मु.

बीकानेर के आदेश दिनांक 04—11—1999 जिसके द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 149/19 व 149/27 की 50 बीघा भूमि को

विशेष आवंटन में आवंटन कराने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर 09—07—1999 को अपीलांट को आवंटन का पात्र मानते हुए पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये गये। तत्पश्चात् अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 09—07—1999 को वादगत् भूमि का आवंटन कर दिया गया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण रकबा खारिज कर दिया।जबकि अपीलांट को आज दिनांक तक कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को कभी सूचना अथवा नोटिस नहीं दिया गया है। यदि अपीलांट को कोई नोटिस दिया जाता तो तत्समय ही वादगज् भूमि के आवंटन बाबत् 35 प्रतिशत राशि जमा करवा दी जाती। अपीलांट आज भी आवंटन बाबत् शेष किश्तें जमा करवाने के लिए तैयार है। अपीलाधीन आदेश साईक्लोस्टाईल है जो आदेश आई ऑफ लॉ उचित नहीं है। वादगत् भूमि आज दिनांक को भी आराजीराज दर्ज है व अन्य को आवंटनशुदा भूमि नहीं है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारि करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के वपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर रकबा बहाल किया जावे। अपील जानकारी से अन्दर मियांद पेश की गई है तथा धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को 35 प्रतिशत राशि सहित उपस्थित होने का अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस जारी किया है किन्तु बावजूद नोटिस सूचना के अपीलांट ने 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं

कराई। अपीलंट अब 17 वर्ष बाद 35 प्रतिशत राशि जमा करावा कर रकबा चाहता है। जबकि 17 वर्ष के मियांद को कन्डोन करने के लिए अपीलांट ने अपने मियांद प्रार्थना पत्र में कोई संतोषजनक कारण नहीं बताये है। इसलिए अपीलांट की अपील मियांद बाहर होने व आवंटन शर्तो के अनुसार 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09—07—1999 के विरुद्व अपील दिनांक 21—02—2013 को पेश की है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट ने काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया है। अतः अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 149/19 व 149/27 की 50 बीघा भूमि को विशेष आवंटन में आवंटन कराने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर 09—07—1999 को अपीलांट को आवंटन का पात्र मानते हुए पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये गये। तत्पश्चात् अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 09—07—1999 को वादगत् भूमि का आवंटन कर दिया गया।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को उक्त आवंटन की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु चार बार नोटिस जारी किया गया। परन्तु अपीलांट न तो अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित हुआ ना ही 35 प्रतिशत राशि जमा कराई। जिसके फलस्वरूप अपीलांट को दिनांक 09—07—1999 को किया गया आवंटन अदालत मातहत द्वारा दिनांक 04—011—1999 को खारिज कर दिया गया है। अब अपीलांट 17 वर्ष बाद 35 प्रतिशत राशि जमा कराकर आवंटन चाहता है। चूंकि अपीलांट ने आवंटन शर्तो व प्रक्रिया के तहत समयावधि में रकम जमा नहीं कराई है इसलिए अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की

जाती है एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ मु बीकानेर का आदेश दिनांक 04–11–1999 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
बीकानेर